

संख्या- 31 /2024/4238 /001-9-7099-1-2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 29 नवंबर, 2024

विषय:-कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत मनोरथा गौशाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि उपर्युक्त के विषयगत शासनादेश संख्या-17/2024/934/001-9-7099-1-2024 दिनांक 16-03-2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत नगर निगम, लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम उत्तरधौना स्थित नगर निगम स्वामित्व भूमि पर मनोरथा गौशाला के निर्माण कार्य के लिये कुल ₹ 2796.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष कुल रुपया 70.00 लाख धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी थी।

2. उक्त के क्रम में कार्यालय निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या-8/5252/, दिनांक 28.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-17/2024/934/001-9-7099-1-2024 दिनांक 16-03-2024 को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत नगर निगम, लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम उत्तरधौना स्थित नगर निगम स्वामित्व भूमि पर मनोरथा गौशाला के निर्माण कार्य के लिये धनराशि ₹ 2796.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष कुल ₹978.80 लाख धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था/ नगर निकाय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु ₹25.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। कार्यदायी संस्था/ नगर निकाय द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय।

(4) प्रायोजनान्तर्गत डी०जी०सेट, ट्रान्सफार्मर, सोलर ग्रिड सिस्टम प्राविधान किया है। इनके कियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार

पर दरें प्राप्त करें। अतः कार्यदायी संस्था/ नगर निकाय से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(5) कार्यदायी संस्था/ नगर निकाय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की फेजिंग इस प्रकार की जाय कि निर्मित भवनों का क्रमिक रूप से उपयोग होता चले।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था/ नगर निकाय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(7) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति वित्त विभाग उ.प्र. शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था/नगर निकाय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना से संबंधित शासनादेशों / दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

(11) प्रश्रुगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(12) संबंधित नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(13) संबंधित नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(14) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की कार्य स्थल पर स्थापित किये गये डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(15) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को दिनांक 31.03.2025 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,78,80,000 (रुपये नौ करोड़ अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700** कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश यू०ओ० संख्या- E-9-264-X-2024-25-दिनांक: 29-11-2024 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by **भवदीय,**

Kalyan Banerjee

Date: 29-11-2024 18:29:02

(**कल्याण बनर्जी**)

संयुक्त सचिव,

संख्या-31/2024/4238(1)/001-9-7099-1-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र०, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
Signed by

Kalyan Banerjee

Date: 20/11/2024 18:29:43

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव,